



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273880
CG-DL-E-27062026-273880

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3275]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/ आषाढ 4, 1948

No. 3275]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3409(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ 1162 (अ) दिनांक 24.11.2001 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, जो भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या 858, भाग –II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 24 नवम्बर, 2001 में प्रकाशित हुई थी और संशोधन राजपत्र संख्या S.O. 1755 (E) दिनांक 12.10.2006 में प्रकाशित हुई, अर्थात:

उक्त मूल अधिसूचना संख्या का.आ 1162 (अ) दिनांक 24.11.2001 की अनुसूची में दी गई तालिका में

- (i) क्रमांक संख्या 19 से 26 के समक्ष "तालुक" कालम में, शब्द "विलुपुरम" के स्थान पर "विक्रावंडी" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) क्रमांक संख्या 34 से 38 के समक्ष "तालुक" कालम में, शब्द "उलुंदर्पेट" के स्थान पर "थिरुवेन्नाइनल्लूर" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) क्रमांक संख्या 39 से 57 के समक्ष "जिला और राज्य" कालम में, शब्द "विल्लुपुरम" के स्थान पर "कल्लाकुरिची" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

फुट नोट: मूल अधिसूचना संख्या का.आ1162(अ) दिनांक 24.11.2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या 858, भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii), दिनांक 24.11.2001 में और संशोधन राजपत्र संख्या का.आ 1755 (अ) दिनांक 12.10.2006 में प्रकाशित हुई थी।

[फा.सं. 13015/1/99-Trichy/145/C]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3409(E).— Inexercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in notification S.O.1162 (E) dated 24.11.2001 of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary no 858, Part –II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 24th November, 2001 and Amendment Gazette No. S.O. 1755 (E) dated 12.10.2006 namely:

In the Table in the Schedule to the principal notification number S.O.1162 (E) dated 24.11.2001:-

- Against Serial No.19 to 26 under Column “**Taluk**” the word “**Vikravandi**” in place of the word “Villupuram” shall be substituted.
- Against Serial No.34 to 38 under Column “**Taluk**” the word “**Thiruvonnainallur**” in place of the word “Ulundurpettai” shall be substituted.
- Against Serial No.39 to 57 under Column “**District and State**” the word “**Kallakurichi**” in place of the word “Villupuram” shall be substituted

Foot Note: The principal notification was published vide number S.O.1162 (E) dated the 24th November, 2001, in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub Section (ii), subsequent Amendment was published vide Gazette No. S.O. 1755 (E) dated 12.10.2006.

[F. No. 13015/1/99-Trichy/145/C]

SHAIKH AMINKHAN, Director